

प्रधिकृत सं०-202/2024-25

कार्यालय मुख्य अभियन्ता
(शारदा सहायक)
सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश
गंगा सिंचाई भवन, तेलीबाग, लखनऊ।

संख्या-762/शा0स0अनु0/ले0-2700-2701/2024-25

दिनांक: लखनऊ: 5/2/2025

कार्यालय ज्ञाप

अनुदान सं०-94 सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य) राजस्व लेखा के अन्तर्गत शासनादेश सं०-207/2024/-/001-869-24-27-Si-9-33SAV-24 दिनांक-03.06.2024 द्वारा प्राप्त वित्तीय स्वीकृति के क्रम में प्रमुख अभियन्ता (आय-व्ययक अनुभाग), सिंचाई विभाग, उ०प्र०, लखनऊ द्वारा निम्नांकित लेखाशीर्षकों/उपशीर्षकों/मदों के अन्तर्गत इस संगठन को वित्तीय वर्ष 2024-25 में व्यय किये जाने हेतु निम्नानुसार आवंटन प्राप्त-

आवंटनकर्ता	प्राधिकृत सं०	ज्ञाप संख्या/दिनांक	लेखाशीर्षक	प्रदिति धनराशि (लाख रू० में)
प्रमुख अभियन्ता (आय-व्ययक अनु०) सिंचाई विभाग, उ०प्र०, लखनऊ।	88/24-25	4271/आई० बी०/108बी-22ए/अनु०-94/रा०ले० प्रदिति/24-25 दि० 13.01.2025	अनु०सं०-94 सिंचाई विभाग(निर्माण कार्य)राजस्व लेखा	215.62
			2700-मुख्य सिंचाई	
			09-शारदा सहायक(वाणिज्यिक),	
			101-रख-रखाव और मरम्मत	
			03-अन्य रख-रखाव व्यय	18.97
			0301-अनुरक्षण कार्य, 29-अनुरक्षण	
			2701-मध्यम सिंचाई	
			25-टाण्डा पम्प नहर (वाणिज्यिक),	
			101-रख-रखाव और मरम्मत	2.59
			03-अन्य रख-रखाव व्यय	
			0301-अनुरक्षण कार्य, 29-अनुरक्षण	
			57-सुहेली सिंचाई परियोजना (वाणिज्यिक),	
			101-रख-रखाव और मरम्मत	69.00
			03-अन्य रख-रखाव व्यय	
			0301-अनुरक्षण कार्य, 29-अनुरक्षण	
			64-कैनल कालोनी, लखनऊ (अवाणिज्यिक),	
			101-रख-रखाव और मरम्मत	306.18
			03-अन्य रख-रखाव व्यय	
			0301-अनुरक्षण कार्य, 29-अनुरक्षण	
			कुल योग-2700-2701-	

(रू० तीन करोड़ छः लाख अट्टारह हजार मात्र)

के विरुद्ध इस संगठन को विभिन्न मदों में प्राप्त आवंटन को इस वित्तीय वर्ष 2024-25 के चतुर्थ त्रैमास में व्यय किये जाने हेतु निम्नांकित खण्डों को अधोलिखित तालिका के कालम सं०-5 में अंकित धनराशि एतद्वारा आवंटित की जाती है:-

DDO CODE	खण्ड का नाम	लेखाशीर्षक सं०	प्रणाली/योजना का नाम	आवंटित धनराशि (लाख रू० में)
1	2	3	4	5
4801	सिंचाई खण्ड, टाण्डा अम्बेडकरनगर।	94-2701-25-101-03-0301-29	टाण्डा पम्प नहर	18.97
4810	सिंचाई ख०शा०न०लखीमपुर-खीरी।	94-2701-57-101-03-0301-29	सुहेली सिंचाई परियोजना	2.59
4806	लखनऊ खण्ड, शा०नहर, लखनऊ।	94-2701-64-101-03-0301-29	कैनल कालोनी लखनऊ	69.00
			योग ले०शी०-2701	90.56

(रू० नब्बे लाख छप्पन हजार मात्र)

नोट-(1)आवंटित धनराशियां सम्बन्धित नहर प्रणालियों पर अनुरक्षण मद के कार्यों पर ही व्यय किया जाये। आवंटित धनराशि से आउटसोर्सिंग के माध्यम से रखे गये श्रमिकों एवं वाहनों पर कोई भी धनराशि कदापि व्यय न की जाये। खण्डों के स्वीकृत नार्मल प्राक्कलन एवं खण्ड में सिंचाई कार्यों की महत्ता के दृष्टिगत सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता नियमानुसार व्यय सुशिक्षित करायें। आवंटित धनराशि के सापेक्ष व्यय की सूचना भी बी०एम०-8 पर माहवार उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें।

(2)सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ताओं को इस निर्देश के साथ प्रेषित है। के शासनदेश संख्या-95/2022/853/22-27-Si-9-12SAV/22 दिनांक: 18.05.2022 के संलग्न प्रपत्र-1 के अनुसार मांग इस कार्यालय को उपलब्ध करायेंगे।

उपरोक्त आवंटन समय-2 पर जारी कार्यालय ज्ञापों एवं शासनादेश सं०-207/2024/-/001-869-24-27-Si-9-33SAV-24 दिनांक-03.06.2024 में अंकित नियमों एवं शर्तों के अधीन किया जाता है।

(प्रभाकर प्रसाद)
मुख्य अभि०(शा०सहा०)

संख्या-762 (i)/शा0स0अनु0/2700-2701/2024-25/तदिनांक 5/2/2025

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी-1/2) उ0प्र0, प्रयागराज।
- 2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा-1/2) उ0प्र0, प्रयागराज।
- 3- मुख्य अभियन्ता (मध्य) कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
- 4- मुख्य अभियन्ता (बजट) कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
- 5- वित्त नियंत्रक, कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
- 6- अधीक्षण अभियन्ता (कम्प्यूटर केन्द्र) सिंचाई एवं जलसंसाधन विभाग, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित है कि उक्त आवंटन को विभागीय व्यय पोर्टल पर अपलोड करने का कष्ट करें।
- 7- अधीक्षण अभियन्ता, सप्तम् मण्डल सिंचाई कार्य, लखनऊ/द्वादशम् मण्डल सिंचाई कार्य, लखनऊ/एकादशम् मण्डल सिंचाई कार्य, अयोध्या।
- 8- अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड टाण्डा अम्बेडकर नगर/सिंचाई खण्ड शा0न0लखीमपुर खीरी/लखनऊ खण्ड शारदा नहर, लखनऊ।
- 9- प्रशासनिक अधिकारी (शा0सहा0)/संगणक (शा0सहा0)।

(प्रभाकर प्रसाद)
मुख्य अभि0(शा0सहा0)

5/2/25